तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.219	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि खनन एवं समनुषंगी कार्य हेतु प्रार्थी कम्पनी को प्रदान करने हेतु सहमत है। वकील प्रार्थी द्वारा इन कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस कारण वकील प्रार्थी के इन कथनो में कोई बल नहीं हैं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी में से अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि 11/56 वें भाग को खनन का एवं समनुषंगी कार्य हेतु अप्रार्थीगण को देय मुआवजा निर्धारित कराते हुए भूमि प्रार्थी कम्पनी को प्रदान कराने का अनुतोष चाहा हैं। प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम टूकड़ा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 340 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा किस्म बा0दो0 की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सह खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसका कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ हैं। सामान्य सिद्धान्त के अनुसार एक सह खातेदारी भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया हैं। इस स्थिति में विधिक विभाजन के अभाव में प्रार्थी द्वारा वांछित 11/56 वें हिस्से का निर्धारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नहीं किया जा सकता तथा विभाजन के अभाव में प्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत भूमि का कौनसा विशिष्ठ हिस्सा मुआवजा तय कर प्रार्थी कम्पनी को खनन एवं समनुषंगी कार्य हेतु प्रदान करते हुए भूमि बिला नाम दर्ज की जावें ? इस स्थिति में जैर प्रार्थना पत्र भूमि को अवाप्त कर मुआवजा निर्धारित करते हुए बिलानाम सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जाता हैं। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, पाली जिला कलक्टर, पाली	